अपने पूल को सुरक्षित करने, अपने बच्चों को सुरक्षित करने की चेक-लिस्ट (जाँच-सूची)

NSW में, 2010-11 में पाँच वर्ष से कम की आयु के 12 बच्चों की डूबने के कारण मृत्यु हुई, तथा और 64 बच्चों को डूबने से बाल-बाल बचने की स्थिति से निकाल कर अस्पताल में भर्ती किया गया। किसी भी आयु वर्ग के मुकाबले पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आयु वर्ग में डूब कर होने वाली मृत्यु की घटनाओं की दर सबसे अधिक है, और लगभग 50% ऐसी घटनाएँ स्वीमिंग पूल्स में घटित होती हैं।

पाँच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की डूबने से होने वाली मृत्यु की घटनाओं और डूबने से बाल-बाल बचने की घटनाओं की दर में अपर्याप्त पूल फेन्सिंग (बाड़) का एक प्रमुख कारण के रुप में बने रहना जारी है। पूल फेन्सिंग पूल क्षेत्र तक पहुँच को सीमित करके अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है।

सभी पूल मालिकों को पूरे वर्ष के दौरान नियमित तौर पर अपने स्वीमिंग पूल की जांच करनी चाहिए, विशेषकर ग्रीष्म ऋतु शुरु होने से पहले के कुछ महीनों के दौरान।

कृपया इस बात से अवगत रहें कि ऑस्ट्रेलिया में सभी राज्यों व टेरेटरियों (राज्य-क्षेत्रों) में पूल फेन्सिंग से संबंधित कानून अलग-अलग हैं तथा यह जाँच-सूची केवल NSW से संबंधित है।

Swimming Pools Act 1992 (NSW) की पालना न करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए गंभीर दंड लागू होते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए कृपया http://kidshealth.schn.health.nsw.gov.au देखें और प्रोजैक्ट्स टैब के नीचे ड्राउनिंग प्रिवेंशन (डूबने से बचाव) लिंक पर क्लिक करें।

kids health
the children's hospital at Westmead
Child Health Promotion Unit

ctcper
the children's hospital at Westmead
The Centre for Trauma Care, Prevention, Education and Research

NSW GOVERNMENT

Samuel Morris FOUNDATION

नवम्बर 2012

SPASA
SWIMMING POOL & SPA ASSOCIATION OF NSW LIMITED

स्वीमिंग पूल से संबंधित कानून और आपकी परिस्थितियाँ

Swimming Pools Act 1992 (NSW) की आवश्यकता है कि निजी स्वीमिंग पूल मालिक यह सुनिश्चित करें कि उनके पूल के चारों ओर हर समय एक चाइल्ड-रिज़िस्टेंट (बाल-प्रतिरोधी) बैरियर लगा हो जो कि पूल को प्रापर्टी पर किसी अन्य आवासीय इमारत से तथा साथ ही प्रापर्टी से जुड़े किसी सार्वजनिक या निजी स्थान से अलग करता हो।

सामान्यत:, अनुपालन करने वाला बैरियर पूल के इर्द-गिर्द किसी विशिष्ट स्टैन्डर्ड के अनुसार बनी चौबगली फेन्स (बाड़) होती है।

हालाँकि, इस बात पर निर्भर करते हुए कि पूल का निर्माण कब किया गया था और उस प्रापर्टी की बनावट कैसी है जिसपर आपका पूल स्थित है, विभिन्न स्टैन्डर्डस और विशेष छूट लागू हैं। उदाहरण के लिए, सीमित परिस्थितियों में आवास-स्थान को पूल से अलग करने के लिए इन स्टैंन्डर्ड्स व छूट के माध्यम से चाइल्ड रिज़िस्टेन्ट (बाल-प्रतिरोधी) दरवाज़ों व विंडो लॉक्स के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है।

आपके पूल के लिए किस प्रकार के बैरियर की आवश्यकता है और इसे किस स्टैन्डर्ड के अनुसार बनाया जाया चाहिए, इससे संबंधित परामर्श प्राप्त करने के लिए अपनी स्थानीय काउंसल से संपर्क करें।

स्वीमिंग पूल रजिस्टर

29 अक्तूबर 2013 से, सभी स्वीमिंग पूल्स राज्य-व्यापी पूल रजिस्टर में रजिस्टर्ड (पंजीकृत) होने चाहिए। पूल रजिस्टर 29 अप्रैल 2013 से उपलब्ध होगा। पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रुप में, पूल के मालिकों को अपनी श्रेष्ट जानकारी के अनुसार यह प्रमाणित करना चाहिए कि उनका पूल बैरियर अधिनियम की पालना करता है। अपने स्वीमिंग पूल को रजिस्टर न कराने वाले पूल मालिकों के लिए जुर्माने लागू होंगे।

29 अप्रैल 2013 के बाद - क्या आपने अपने पूल को राज्य-व्यापी पूल रजिस्टर पर पंजीकृत करवा दिया है?	☐ हाँ	☐ नहीं– अपने स्वीमिंग पूल को पंजीकृत कराने के लिए अपनी स्थानीय काउंसल या प्राइवेट प्रमाणकर्ता से संपर्क करें अथवा NSW राज्य की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन वेबसाइट देखें।

स्वीमिंग पूल की जाँच

29 अप्रैल 2014 से, दो से अधिक डवेलिंग्स वाले सभी पर्यटन या आगंतुक आवास-स्थानों या प्रापर्टियों की हरेक तीन साल में एक बार स्वीमिंग पूल जाँच होनी आवश्यक है।

डवेलिंग का अर्थ है कोई ऐसा कमरा या कमरों का ऐसा समूह जिसे अधिकृत या प्रयुक्त किया गया हो या फिर जिसका निर्माण या रुपांतरण किसी अलग निवास-स्थान के तौर पर अधिकृत या प्रयुक्त करने के लिए योग्य बनाने हेतु किया गया हो। इसमें टाउन हाउस/ विला, आवासीय फ्लैट्स एवं अपार्टमेंट्स शामिल हैं। हाउसिंग एस्टेट्स, सामुदायिक एस्टेट्स में साझे पूल, पूल वाले कैरावेन पॉर्क्स व कैंपिग ग्राउंड्स इत्यादि।

अपने स्थानीय क्षेत्र के लिए समस्त स्थानीय काउंसल स्वीमिंग पूल जाँच कार्यक्रम 29 अक्तूबर 2013 तक शुरु हो जाने चाहिए। स्थानीय काउंसलें पहली जाँच के लिए पूल के मालिकों से $150 तक का शुल्क और ज़रुरत पड़ने पर (पहली जाँच के दौरान कोई खराबी पाई जाने पर) दूसरी जाँच के लिए $100 तक का शुल्क चार्ज कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए अपनी स्थानीय काउंसल से संपर्क करें।

29 अप्रैल 2014 से, स्वीमिंग पूल वाली सभी आवासीय प्रापर्टियों के लिए यह आवश्यक है कि उस प्रापर्टी को किराये पर देने या बेचे जाने से पहले उस प्रापर्टी के पास अनुपालन का वैध सर्टिफिकेट होना चाहिए।

1 मई 2012 से, पूल के मालिक पूल बैरियर की जाँच कराने के लिए स्थानीय काउंसल या किसी मान्यता-प्राप्त प्रमाणक को शामिल कर सकते हैं ताकि अनुपालन सर्टिफिकेट जारी किया जा सके। अनुपालन सर्टिफिकेट तीन साल के लिए मान्य होते हैं।

<table>
<tr><th colspan="3">चाइल्ड रेज़िस्टेन्ट (बाल-प्रतिरोधी) दरवाज़े</th></tr>
<tr><td colspan="3">कुछ पुराने स्वीमिंग पूल्स में दरवाजे पूल फेन्स या बैरियर के भाग के रुप में शामिल हो सकते हैं। नए पूल्स के निर्माण में या परिवर्तित या पुन:निर्मित किए जाने वाले बैरियर में इसकी अनुमति नहीं होती है।</td></tr>
<tr><td>यदि आपका कोई दरवाजा पूल बैरियर का भाग है, तो क्या</td><td>☐ हाँ</td><td rowspan="5">☐ नहीं

बाल-सुरक्षित दरवाजों को लगाए जाने की छूट की अनुमति अब नहीं दी जाती है। आपके लिए अपने स्वीमिंग पूल के इर्द-गिर्द चौबगली फेन्स लगाना आवश्यक हो सकता है। कृपया अपनी स्थानीय काउंसल से जांच लें।</td></tr>
<tr><td>यदि आपका कोई दरवाजा पूल बैरियर का भाग है, तो क्या यह सेल्फ लैच हो जाता है?</td><td>☐ हाँ</td></tr>
<tr><td>यदि आपका कोई दरवाजा पूल बैरियर का भाग है, तो क्या लैचिंग डिवाइस फर्श से कम से कम 150सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और क्या इसे दरवाजे के दोनों ओर से ऑपरेट किया जा सकता है?</td><td>☐ हाँ</td></tr>
<tr><td>यदि आपका कोई दरवाजा पूल बैरियर का भाग है, तो क्या आपने यह सुनिश्चित किया है कि फर्श और फर्श से 100सेंटीमीटर की ऊँचाई के बीच दरवाजे या इसके फ्रेम पर 1सेंटीमीटर से अधिक चौड़े फुटहोल्ड्स (पैर रखने के स्थान)</td><td>☐ हाँ</td></tr>
<tr><td>यदि आपका कोई दरवाजा पूल बैरियर का भाग है, तो क्या आपने यह सुनिश्चित किया है कि पालतू जानवरों के लिए कोई दरवाजे मौजूद नहीं है?</td><td>☐ हाँ</td></tr>
<tr><th colspan="3">जमीन के ऊपर के पूल और इनफ्लेटेबल (हवा भरे जाने वाले) पूल</th></tr>
<tr><td>यदि आपका पूल जमीन से ऊपर है, तो क्या फेन्स लगी हुई है?</td><td>☐ हाँ</td><td rowspan="2">☐ नहीं– चाइल्ड रिज़ेस्टेन्ट (बाल-प्रतिरोधी) फेन्स लगाएं।</td></tr>
<tr><td>यदि आपके पास इनफ्लेटेबल (हवा भरे जाने वाला) या पोर्टेबल पूल है जिसे 30सेंटीमीटर से अधिक पानी से भरा जा सकता है , तो क्या इसके इर्द-गिर्द फेन्स लगी हुई है?</td><td>☐ हाँ</td></tr>
</table>

✗

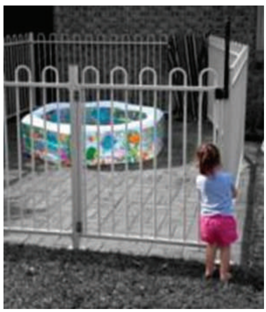

✓

पूल -गेट्स , सेल्फ क्लोज़िंग व सेल्फ लैचिंग डिवाइसिस		
क्या आपका पूल गेट बाहर की ओर स्विंग होता है (पूल क्षेत्र से परे) ?	☐ हाँ	☐ नहीं- पूल गेट को दुबारा लगाने की ज़रुरत है ताकि यह बाहर की ओर स्विंग करे (पूल क्षेत्र से परे) ।
क्या आपका पूल गेट जब भी चाहे जैसे भी खुला हो, इसे ज़ोर लगा कर बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यह स्वत: ही बंद हो जाता है?	☐ हाँ	☐ नहीं– जब तक कोई नया लॉक या क्लोज़िंग डिवाइस न लगाया जाए, तब तक पूल गेट को स्थायी तौर पर बंद रखा जाना चाहिए। सेल्फ क्लोज़िंग व सेल्फ लैचिंग डिवाइसिस अधिकांश पूल शॉपस तथा हार्डवेयर की दुकानों से खरीदे जा सकते हैं और इन्हें लगाना आसान होता है।
क्या गेट के बंद होने पर आपका पूल गेट स्वत: लॉक (सेल्फ लैच) हो जाता है?	☐ हाँ	
क्या आप यह सुनिश्चित करते/करती हैं कि आप कभी भी अपने पूल गेट को सहारा देकर खुला नहीं रहने देते/देती हैं?	☐ हाँ	☐ नहीं- गेट को हमेशा बंद करें और इसे कभी भी सहारा देकर खुला न छोड़ें।
पूल फेन्स के भाग के तौर पर प्रयोग की गई बाउंड्री फेन्स		
यदि आपकी बाउंड्री फेन्स के भीतरी भाग में कोई क्षैतिज सलाखें हैं, तो क्या वे 90सेंटीमीटर नॉन-क्लाइम्बेबल ज़ोन (गैर-आरोहणीय क्षेत्र) के बाहर स्थित हैं? *(भू-तल की ओर चापाकार आती पूल फेन्स के अंदर के शीर्ष भाग से वृत्त-खण्ड आकार में मापन किया गया)*	☐ हाँ	☐ नहीं– किसी लाइसेंस-प्राप्त बिल्डर, पूल तकनीशियन या फेन्सिंग कांट्रेक्टर से संपर्क करें ताकि वे आपको अनुरुप समाधान उपलब्ध करा सकें।
चाइल्ड रिज़ेस्टेन्ट (बाल-प्रतिरोधी) विंडोज़– भू-तल से 180 सेंटीमीटर से कम की ऊँचाई वाली विंडोज़ सिल (खिड़की की चौखट)		
1 सितम्बर 2008 से पहले निर्मित स्वीमिंग पूल्स व बैरियर्स में पूल फेन्स या बैरियर के भाग के रुप में चाइल्ड-सेफ (बाल-सुरक्षित) विंडोज़ मौजूद हो सकती हैं। **चाइल्ड-सेफ (बाल-सुरक्षित)** विंडोज़ सहित पुराने पूल्स की आवश्यकताएँ **चाइल्ड-रिज़ेस्टेन्ट (बाल-प्रतिरोधी)** विंडोज़ सहित नए पूल्स की आवश्यकताओं से भिन्न हो सकती हैं। यदि पूल बैरियर के भाग के तौर पर विंडोज़ का रखरखाव उचित स्टैन्डर्ड के अनुसार नहीं किया जाता है, तो आपके लिए मौजूदा चाइल्ड-रिज़ेस्टेन्ट विंडो की ज़रुरतों का अनुपालन करना आवश्यक हो सकता है। परिवर्तित या पुन:निर्मित किए जाने वाले बैरियर्स के लिए भी मौजूदा चाइल्ड-रिज़ेस्टेन्ट विंडो की ज़रुरतों का अनुपालन आवश्यक हो सकता है। कृपया अपनी स्थानीय काउंसल से जांच लें।		
यदि आपके यहाँ **चाइल्ड-सेफ (बाल-सुरक्षित)** विंडोज़ हैं जो पूल बैरियर का भाग हैं, तो क्या उनपर लॉकिंग डिवाइस या सिक्योरिटी स्क्रीन लगी हुई है जो उन्हें 10सेंटीमीटर से अधिक खोले जाने से रोकती है?	☐ हाँ	☐ नहीं– **चाइल्ड-सेफ** विंडोज़ को लगाए जाने की छूट की अनुमति अब नहीं दी जाती है। आपके लिए मौजूदा चाइल्ड-रिज़ेस्टेन्ट विंडोज़ की ज़रुरतों का अनुपालन करना आवश्यक हो सकता है।
यदि आपके यहाँ **चाइल्ड-रिज़ेस्टेन्ट (बाल-प्रतिरोधी)** विंडोज़ हैं जो पूल बैरियर का भाग हैं, तो क्या विंडो का इस्तेमाल करने योग्य भाग स्थायी तौर पर लगाई गई सलाखों या किसी जाली वाली स्क्रीन से ढका हुआ है?	☐ हाँ	☐ नहीं– विंडो ओपनिंग को ढकने के लिए सलाखें या जाली की स्क्रीन (अधिकतम दूरी 10सेंटीमीटर) लगाएं। सलाखें तथा जाली की स्क्रीनें आपके स्थानीय हार्डवेयर स्टोर से खरीदी जा सकती हैं, परंतु आपको अपनी स्थानीय काउंसल या किसी लाइसेंस-प्राप्त बिल्डर से भी परामर्श प्राप्त लेने का प्रयास करना चाहिए।

स्किमर बॉक्स

1993 से, NSW में सभी पूल्स व स्पॉस में सुरक्षित स्किमर बॉक्स का लगा होना आवश्यक है क्योंकि पूल के स्किमर बॉक्स पर बैठने से गंभीर अंदरुनी चोटों के लगने का खतरा हो सकता है, विशेषकर पुराने 'पॉटी' जैसी बनावट वाले स्किमर बॉक्स पर बैठने से।

क्या आपके स्किमर बॉक्स में स्थायी गुबंदाकार सुरक्षात्मक ढक्कन और सेफ्टी स्कर्ट है जिसे केवल टूल का प्रयोग करके हटाया जा सकता है?	☐ हाँ	नहीं - फिल्टर इनलेट के साथ एक स्थायी सुरक्षात्मक ढक्कन जोड़ें। निर्माता या फाइबर-गलास पूल्स की मरम्मत करने वाले लोग इस मरम्मत कार्य को पूर्ण कर पाएंगे (आप इनके संपर्क विवरण Yellow Pages से प्राप्त कर सकते/सकती हैं) । इसके साथ ही, आपके स्थानीय स्वीमिंग पूल सप्लायर के पास पुरानी बनावट वाले स्किमर बॉक्स के लिए कम लागत वाली रुपांतरण किट उपलब्ध हो सकती है।

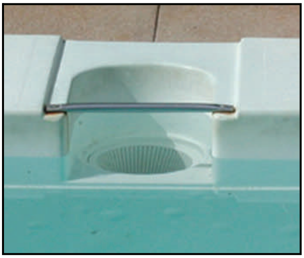

खतरनाक स्किमर बॉक्स

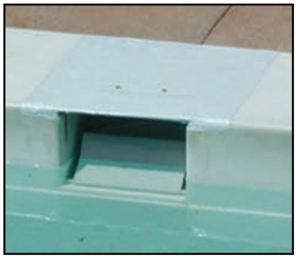

सुरक्षित संशोधित स्किमर बॉक्स

नए स्वीमिंग पूल्स

Work Health and Safety Regulations 2011 (Cth) के अंतर्गत, निर्माणाधीन सभी नए पूल्स के लिए अस्थायी फेन्स (बाड़) का लगाया जाना आवश्यक है ताकि खुदाई के काम से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए पैदा होने वाले खतरों से बचा जा सके। इसमें बच्चों को खाली पूल में गिरने से रोका जाना, अथवा वर्षा होने के पश्चात पूल में पानी भरने से बच्चों के उसमें डूबने की स्थिति को रोका जाना शामिल है।

क्या आपके पूल के निर्माण के दौरान इसके इर्द-गिर्द अस्थायी फेन्स बनाई गई है?	☐ हाँ	☐ नहीं– अस्थायी फेंस लगाएं
क्या नए स्वीमिंग पूल का निर्माण करने से पहले आपने अपनी स्थानीय काउंसल से स्वीकृती प्राप्त कर ली है?	☐ हाँ	☐ नहीं– अपनी स्थानीय काउंसल या किसी प्राइवेट बिल्डिंग प्रमाण-कर्ता से संपर्क करें।
क्या आपने इस बारे में अपनी स्थानीय काउंसल से बात की है कि आपकी स्थायी फेन्स कहाँ स्थित होने वाली है?	☐ हाँ	☐ नहीं- स्थानीय काउंसल से संपर्क करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके स्थायी पूल की फेन्स काउंसल के दिशा-निर्देशों को पूरा करती है।
क्या स्थायी अनुपालन फेन्स स्थापित किए जाने के तुरंत बाद आपने अपनी स्थानीय काउंसल या किसी प्राइवेट बिल्डिंग प्रमाण-कर्ता से अंतिम जाँच करवा ली है?	☐ हाँ	☐ नहीं– अंतिम जाँच की व्यवस्था करने के लिए अपनी स्थानीय काउंसल या किसी प्राइवेट बिल्डिंग प्रमाण-कर्ता से संपर्क करें।

पूल की अंदरुनी फेन्स - ऊँचाई - बाउंड्री फेन्स के लिए अलग सैक्शन देखें		
क्या आपकी पूल फेन्स फिनिश्ड ग्राउंड लेवल से कम से कम 1.2मीटर ऊँची है?	☐ हाँ	☐ नहीं- तुरंत ही किसी लाइसेंस-प्राप्त बिल्डर, पूल तकनीशियन या फेन्सिंग कांट्रेक्टर से संपर्क करें।
पूल फेन्स- नॉन क्लाइम्बेबल ज़ोन (गैर-आरोहणीय क्षेत्र)		
क्या आपने यह सुनिश्चित कर लिया है कि पेड़, झाड़ियाँ या कोई अन्य वस्तुएँ जैसे कि BBQ, गमलों में लगे पौधे, खिलौने, सीढ़ियाँ व कुर्सियाँ 90सेंटीमीटर के नॉन-क्लाइम्बेबल ज़ोन (गैर-आरोहणीय क्षेत्र) के बाहर हैं? *(भू-तल की ओर चापाकार आती पूल फेन्स के बाहर के शीर्ष भाग से वृत्त-खण्ड आकार में मापन किया गया)*	☐ हाँ	☐ नहीं- पूल बैरियर के नज़दीक पेड़ व झाड़ियाँ और अन्य वस्तुएँ जैसे कि BBQ, गमलों में लगे पौधे, खिलौने, सीढ़ियाँ व कुर्सियाँ 90सेंटीमीटर के नॉन-क्लाइम्बेबल ज़ोन (गैर-आरोहणीय क्षेत्र) के भीतर नहीं आने चाहिए ताकि बच्चा/बच्ची उनका प्रयोग करके फेन्स के ऊपर चढ़ के उसे पार न कर सके।
पूल फेन्स के भीतरी भाग में 30सेंटीमीटर नॉन-क्लाइमबेबल ज़ोन (गैर-आरोहणीय क्षेत्र) में कोई स्थायी ढाँचा नहीं होना चाहिए। गैर-पूल ढाँचे जैसे कि गैरेज़, परगोलास, क्लोथ्स-लाइन्स (कपड़े सुखने डालने की तार) , बोट-शेड्स, रैंप/पांन्टून या शेड्स को पूल क्षेत्र के भीतर बनाए जाने की अनुमति नहीं है।		

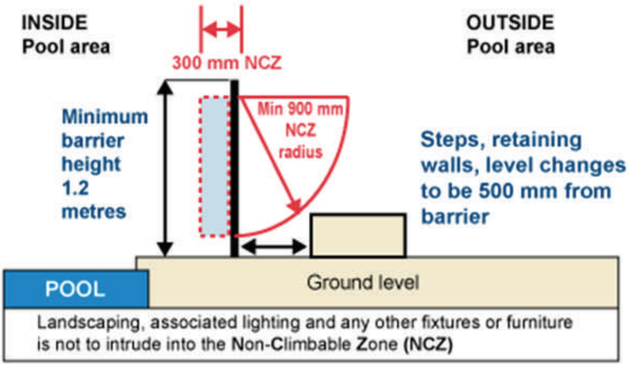

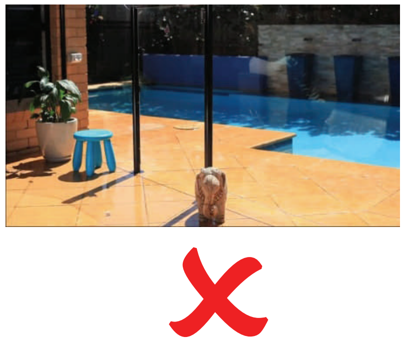

पूल फेन्स - लंबरुपी अंतराल		
यदि फेन्समें लंबरुपी सलाखें लगी हैं, तो क्या इन सलाखों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर से अधिक है? *ध्यान दें: सलाख को मोड़ने के लिए अधिकतम 10सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए और आम-तौर पर इसका माप 9सेंटीमीटर से कम होता है*	☐ हाँ	☐ नहीं- तुरंत ही किसी लाइसेंस-प्राप्त बिल्डर, पूल तकनीशियन या फेंसिग कांट्रेक्टर से संपर्क करें।
पूल फेन्स - क्षैतिज आरोहणीय सलाखें		
क्या फेन्स की क्षैतिज सलाखें एक दूसरे से 90सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं?	☐ हाँ	☐ नहीं- तुरंत ही किसी लाइसेंस-प्राप्त बिल्डर, पूल तकनीशियन या फेंसिग कांट्रेक्टर से संपर्क करें।
पूल फेन्स - फेन्स के निचले भाग में अंतराल		
क्या पूल फेन्स के निचले भाग का अंतराल फिनिश्ड ग्राउंड लेवल से 10सेंटीमीटर से अधिक नहीं है?	☐ हाँ	☐ नहीं- तुरंत ही किसी लाइसेंस-प्राप्त बिल्डर, पूल तकनीशियन या फेंसिग कांट्रेक्टर से संपर्क करें।

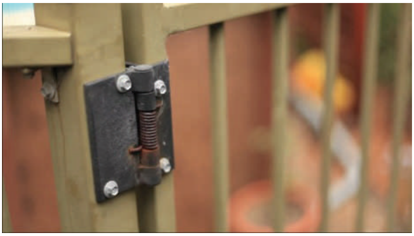

पूल फेन्स व गेट – रखरखाव		
क्या फेन्स के सभी बोल्ट्स, स्क्रूस और इसकी कसनियाँ ठीक से कसी हुई हैं और ठीक हालत में हैं/	☐ हाँ	☐ नहीं- किन्हीं ढीले बोल्ट्स, स्क्रूस व ढीली कसनियों को कसा जाना चाहिए या इन्हें बदल देना चाहिए।
क्या आप खुद से बंद होने वाले गेट के कब्जों, तालों व चिटकनियों पर लूब्रिकेटिंग ऑयल या सिलिकॉन का स्प्रे करते/करती हैं?	☐ हाँ	☐ नहीं- पूल फेन्स तथा गेट के निर्माताओं को इस बात से संबंधित लिखित निर्देश आपको उपलब्ध कराने चाहिए कि अपने पूल फेन्स व गेट का रखरखाव किस प्रकार किया जाना चाहिए। इसमें स्प्रिंग्स को नियमित तौर पर बदला जाना और खुद से बंद होने वाले गेट के कब्जों, तालों व चिटकनियों को लूब्रिकेटिंग ऑयल या सिलिकॉन से स्प्रे किए जाना शामिल हो सकता है जो कि खुद से बंद होने वाले व सेल्फ लैचिंग गेट्स से संबंधित अधिकांश खराबियों से बचाव में सहायक हो सकता है।
पूल फेन्स- गेट की चिटकनी का स्थान		
क्या आपके पूल गेट का नॉन-शील्डिड लैचिंग डिवाइस भू-तल से कम से कम 150सेंटीमेटर की ऊँचाई पर स्थित है?	☐ हाँ	☐ नहीं– यदि आपका लैचिंग डिवाइस भू-तल से 150सेंटीमीटर से कम की ऊँचाई पर स्थित है, तो यह पूल फेन्स के अंदर स्थित होना चाहिए और गेट के ऊपरी हिस्से से कम से कम 15सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए, तथा साथ ही कम से कम 45सेंटीमीटर रेडियस के लैच के इर्द-गिर्द शील्ड फिट की होनी चाहिए।
कार्डियो-पल्मोनरी रेससीटेशन (सी.पी.आर - CPR) साइन		
क्या आपके पूल क्षेत्र में CPR का साइन मौजूद है जो कि ठीक हालत में है और जिसे 3 मीटर की दूरी से पढ़ा जा सकता है? *ध्यान दें: CPR साइन के धुंधले पड़ जाने पर इसे समय-समय पर बदलने की ज़रुरत पड़ सकती है।*	☐ हाँ	☐ नहीं– अपनी स्थानीय पूल शॉप, काउंसल या St John Ambulance, the Australian Red Cross अथवा The Royal Life Saving Society जैसी सामुदायिक संस्थाओं से CPR साइन खरीदें और उसे लगाएं।

स्पा पूल्स		
क्या आपके स्पा पूल के इर्द-गिर्द फेन्स (बाड़) है?	☐ हाँ	☐ नहीं- चाइल्ड रिज़िस्टेन्ट फेन्स (बाल प्रतिरोधी बाड़) लगाएं अथवा आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्पा के प्रयोग न होने पर यह ढकी रहती है और ताला लगाने योग्य किसी बाल-सुरक्षित ढाँचे (जैसे कि दरवाज़े, ढक्कन, जंगला या जाली) द्वारा सुरक्षित रखी जाती है।

अन्य जाँच-पड़ताल		
क्या आपने यह जाँच कर ली है कि सभी इलेक्ट्रिकल संघटक एवं पंप इलेक्ट्रिकल-सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और सही ढंग से ढकें गए हैं?	☐ हाँ	☐ नहीं- जाँच करें कि आपकी स्पा पर एक अनिवार्य इलेक्ट्रिकल सुरक्षा स्वीकृती नंबर का निशान या नियामक अनुपालन का निशान लगा है। इस निशान में आम-तौर पर ऑस्ट्रेलिया में आपके राज्य या टेरेटरी (राज्य-क्षेत्र) के नाम का पहला अक्षर बड़े अक्षर में (उदाहरणत:, NSW के लिए N) और साथ ही एक सर्टिफिकेट नम्बर शामिल होता है।
क्या आपने अपनी स्पा के नजदीक CPR का साइन लगाया है जो कि अच्छी स्थिति में है और जिसे 3 मीटर की दूरी से पढ़ा जा सकता है?	☐ हाँ	☐ नहीं– अपनी स्थानीय पूल शॉप, काउंसल या St John Ambulance, the Australian Red Cross अथवा The Royal Life Saving Society जैसी सामुदायिक संस्थाओं से CPR साइन खरीदें और उसे लगाएं।

किरायेदार
सभी रेंटल एग्रीमेंट्स में स्वीमिंग पूल के रखरखाव की जिम्मेदारियाँ शामिल होनी चाहिए। किरायेदार को किसी प्रकार के नुकसान या किसी आवश्यक मरम्मत की सूचना मकान मालिक को अवश्य देनी चाहिए। यदि मकान मालिक या एजेंट से संपर्क नहीं किया जा सकता है या फिर वे उचित समय के भीतर तत्काल मरम्मत का कार्य नहीं करवाते हैं तो किरायेदार ऐसी तत्काल मरम्मत का कार्य करवा सकता है जिसे न करवाने से परिसर में असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती हो।